निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 69/2023
दायरा दिनांकः–26.10.2023
निर्णय दिनांकः– 08.07.2024

उनवान

प्राची जैन आयु 34 वर्ष पत्नि शैलेन्द्र जैन जाति महाजन जैन निवासी गायत्री मन्दिर के सामने स्टेशन रोड छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा द्वारा अधिशाषी अभियन्ता महोदय P.W.D छबडा जिला बांरा राज.
2. सहायक अभियन्ता विकास नागर सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा
3. गोकुल आयु 36 वर्ष पुत्र मानसिंह गुर्जर निवासी बिन्दाराडी तहसील छबडा
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 08.07.2024
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 111/5 रकबा 1.7705 है0 वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज भू–अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है प्रार्थीया को अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 111/5 रकबा 1.7705 है0 वाके ग्राम रीछडा जिसमें पत्थरों का कोट बना हुआ है उसका शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग उसकी सुरक्षा संरक्षण करने की वैधनिक अधिकारी है। प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 111/5 के लगवां दक्षिण दिशा में सरकारी रास्ता आम भूमि खसरा नम्बर 317,317/1 ग्राम रीछडा अवस्थित है। जिके लगवां भूमि खसरा नम्बर 318 व 319 मोहनलाल पुत्र गोपाल नागर आदि की भूमि है। जिनके द्वारा सरकारी रास्ता आम भूमि खसरा नम्बर 317 ,317/1 ग्राम रीछडा पर अतिक्रमण कर अपने खेत मिला रखा है वर्तमान में प्रस्तावित [illegible] जिसे अप्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा द्वारा ठेकेदार अप्रार्थी क्रम [illegible] के माध्यम से निर्माण किया जाना है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] नम्बर 318 व 319 मोहनलाल पुत्र गोपाल नागर आदि अनुचित [illegible] लाभ प्राप्त करने की नियम उक्त रोड जिसे सरकारी रास्ता आम भूमि [illegible] 317 ,317/1 ग्राम रीछडा में होकर बनाना है। किन्तु कल दिनांक 25.10.2023 को शाम 5–6 बजे व रात्री के समय प्रतिवादीगण व उसके 5–6 सहयोगी व चालक जे.सी.बी. द्वारा चुपचाप जे.सी.बी. मशीन सहीत वादीया की उक्त भूमि जिसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर खेत की सीमा पत्थरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कोट को मशीन से तोडकर गिराया व वादीया की खडी फसल सरसों को नष्ट बर्बाद करते हुये वादीया की भूमि में बडे–बडे गड्डे कर वादीया को क्षति पहुचायी। उक्त प्रतिवादीगण व उनके सहयोगी वादीया से रंजिश द्वेषता से अकारण वादीया को अनुचित अवैध तरीके से परेशान कर रहे है तथा वह ऐन केन प्रकार से वादीया की भूमि पर अतिक्रमण कर उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुचाना व रोड पक्की सडक बनाने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने अवैध उद्वेश्य की पूर्ति में वादीया को नुकसान,क्षति पहुचाने की नियत से उक्त भूमि के बीच में होकर नया रोड रास्ता खातेदार प्रार्थीया की भूमि में विधि–विरूध जबरन बलपूर्वक रोड बनाने पर आमादा है। जिससे वादीया को भारी अपरिमित क्षति होगी तथा उसके सम्पति के अधिकारों का हनन होगा। एवं भारी नुकसान क्षति होगी तथा खेत की उपजाउ मिट्टी रोड मे दब जाने से भविष्य में खेत बेकार हो जायेगा एवं कृषि के लिए अयोग्य हो जायेगा। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य मं प्रार्थीया की भूमि में उक्त अवैध कृत्य रोड निर्माण को रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीया व उसके परिजनों द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को उक्त आराजी पर रोड नही बनाने बाबत् कहां प्रार्थीया द्वारा इस सन्दर्भ में किए गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 76, नकल नक्शा ट्रेस नकल रेवेन्यू बोर्ड स्टे0 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्राथी सुनी गई। बहस के दौरन वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें पत्थरों का कोट बना हुआ है प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में सरकारी रास्ता है सार्वजनिक निर्माण विभाग आम रास्ता में रोड न बना कर प्रार्थी के खातेदारी में होकर रोड बनाया जा रहा है राजस्व रिकार्ड नक्शा में रास्ता सीधा था परन्तु सीधे रास्ते में रोड न बना कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में होकर रोड बनाया जा रहा है। प्रार्थी का पत्थरों का पक्का कोट बना हुआ था जिसको P.W.D के ठेकेदार द्वारा हटा दिया है नक्शा के अनुसार रास्ते पर रोड बनाने में हमें कोई आपत्ति नही है रास्ता सीधा था जिसे मोड कर प्रार्थी के खेत में होकर बना दिया है राजस्व रिकार्ड के अनुसार जितना रास्ता चौडा है उसमें रोड बनाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है नक्शा अनुसार स्थित रास्तें को छोडकर अगर प्रार्थी के खातेदारी में सडक बनाई जायेगी तो प्रार्थी नही बनाने देगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सहायक अभियन्ता का कथन है कि सडक निर्माण सरकारी भूमि पर किया जा रहा है प्रार्थीया द्वारा सरकारी रास्ते पर कोट किया हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्य न कर राजहित/ सार्वजनिक हित का कार्य किया जा रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.10.2023 व 01.11.2023 को चिन्हित किये गये रास्ते पर ही सडक का कार्य प्रारम्भ किया गया था। टीम गठीत कर रास्तें की स्थिति तहसीलदार द्वारा हमें बता दी जाती है। तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...त रास्ते पर ही सडक निर्माण कार्य दुबारा सें शुरू कर दिया जायेगा क्योंकि वर्षा का ...य है काफी समय से काम रूका पडा हुआ है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 76 के अनुसार प्राची जैन पत्नि शेलेन्द्र जैन सा0 देह छबडा के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल नक्शा ट्रेस में रास्ता बिन्दाराडा खसरा नम्बर 317 में स्थित है रास्ते को लेकर दोनो पक्षों में विवाद है विवाद की स्थिति को देखतें हुए तहसीलदार छबडा से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। जिसमें सडक निर्माण में आम रास्ते की कितनी भूमि आ रही है क्या आम रास्ते के अतिरिक्त अन्य निजी खातेदारी की भूमि भी सडक निर्माण में आ रही है तथा मौके पर वस्तुस्थिति क्या है तहसीलदार छबडा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया कि उक्त प्रकरण में मौका रीछडा की आराजी खसरा नम्बर 317 व 317/1 का सीमाज्ञान एवं मौके की रिपोर्ट चाहने हेतु राजस्व टीम का गठन कर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट गठित राजस्व टीम अनुसार जॉच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है। 1.सडक निर्माण में आम रास्ता (गैर मुमकीन रास्ता) की भूमि नही आ रही है 2. सडक निर्माण में गैर मुमकीन रास्ता के अलावा अतिरिक्त निजी खातेदारी प्राची जैन पत्नि शेलेन्द्र जैन जाति महाजन निवासी छबडा की भूमि भी आ रही है। 3. ग्रामवासियान के बताये अनुसार सडक निर्माण प्रचलित पुराने रास्ते पर ही किया गया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट अनुसार सडक निर्माण कार्य आम रास्ते पर न होकर निजी भूमि पर किया जा रहा है प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि प्रार्थीया की भूमि में होकर सडक निर्माण कार्य किया जायेगा तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 111/5 में मूल वाद के निस्तारण होने तक किसी भी प्रकार से दखलंदाजी एवं निर्माण कार्य नही करे। तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का सीमांकन करे। सार्वजनिक निर्माण विभाग गैर मुमकिन रास्ते में नियमानुसार सडक निर्माण कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार छबडा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा को पालना हेतु पत्र पृथक से जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:30 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबडा